फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री संदीप सुराणा निवासी सुराणा कॉम्पलेक्स, पुराना बस स्टेण्ड, बेगूं तहसील बेगूं

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या २१/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2020	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्री संदीप सुराणा निवासी सुराणा कॉम्पलेक्स, पुराना बस स्टेण्ड, बेगूं ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.12.2019 को प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, राशमी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील जरिए ड़ाक प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.12.2019 को सूचना चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में पूर्व में अपील आवेदन दिनांक 06.02.2020 (कार्यालय मे प्राप्ति दिनांक 10.02.2020) से अपील प्रस्तुत की जा चुकी है जिसे इस कार्यालय के प्रकरण संख्या 17/2020 (सू.अ.) निर्णय दिनांक 11.02.2020 से पूर्व में निर्णित किया जा चुका है। अपीलार्थी के द्वारा पुनः उसी आवेदन दिनांक 02.12.2019 के संबंध में पुनः अपील प्रस्तुत की है चूंकि पूर्व में उक्त आवेदन 02.12.2019 के संबंध में दिनांक 11.02.2020 को निर्णय पारित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी को सूचना चाहने हेतु नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (चेतन देवड़ा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)	

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official